



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-यू.पी.-अ.-04122025-268226
CG-UP-E-04122025-268226

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5377]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 3, 2025/अग्रहायण 12, 1947

No. 5377]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 3, 2025/AGRAHAYANA 12, 1947

रेल मंत्रालय

[उत्तर मध्य रेलवे (गति शक्ति विभाग)]

अधिसूचना

झांसी, 20 नवम्बर, 2025

का.आ. 5565(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि लोक प्रयोजन के लिए, वह भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, मध्य प्रदेश राज्य के ग्वालियर जिले के वृत्त पुरानी छावनी तहसील ग्वालियर ग्रामीण ग्राम रायरू में विशेष रेल परियोजना, अर्थात् “झांसी: रायरू गुड्स भोड का विश्वस्तरीय गुड्स भोड के रूप में उन्नयन (चरण-1)” के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के प्रयोजन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के लिए अपने आशय की घोषणा करती है;

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उपधारा (1) के अधीन उपरोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा;

प्रत्येक ऐसा आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), अनुभाग ग्वालियर सिटी ग्वालियर मध्य प्रदेश को लिखित में किया जाएगा और उसमें उसके आधार उपवर्णित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को या तो व्यक्तिगत रूप से या विधिव्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और सभी ऐसे

आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी और जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात्, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा, या तो आक्षेपों को अनुज्ञात या अननुज्ञात कर सकेगा;

उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा;

इस अधिसूचना के अधीन आनेवाली भूमि का रेखांकन और अन्य ब्योरे उपलब्ध हैं और इच्छुक व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उपर्युक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

मध्य प्रदेश राज्य में विशेष रेल परियोजना “झाँसी: रायरू गुड्स भोड का विश्वस्तरीय गुड्स भोड के रूप में उन्नयन (चरण-1)” परियोजना के लिए वृत्त पुरानी छावनी तहसील ग्वालियर ग्रामीण ग्राम रायरू जिला ग्वालियर” में जाने वाली अवसंरचना सहित या रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण :-

क्र.सं.	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	प्लॉट सं०	रकबा (क्षेत्रफल) (हे०)
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
1	ग्वालियर ग्रामीण	रायरू	203	0.1979
2			1107	0.0045
3			341	0.2028
4			1053	0.2194
5			1054	0.0460
6			1055	0.0713
7			1056	0.1724
8			1057	0.0691
9			1063	0.0447
10			1064	0.0025
11			1065	0.0122
12			1066	0.0127
13			1078	0.0066
14			1085	0.0030
15			1087	0.01380
16			1089	0.0177
17			1233	0.0020
18			1059	0.0210
19			1060	0.0712
20			1061	0.0310
21			1062	0.0630
22			1075	0.0860
23			1076	0.0520
24			1077	0.0857
25			1079	0.0840

26	ग्वालियर ग्रामीण	रायरू	1080	0.0713
27			1081	0.0310
28			1082	0.0774
29			1083	0.0730
30			1084	0.0789
31			1106	0.1084
			कुल योग	2.0325

[ई. फा. सं. एन.सी.आर.-जे.एच.एस.ओ.जी.एस.यू/81/2025-O/o सी.पी.एम/जी.एस.यू/ जे.एच.एस./एन.सी.आर
(कम्प्यूटर सं. 152503), दिनांक 19.09.2025]

एनामुल हक, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण), सड़क सुरक्षा परियोजना, प्रयागराज

MINISTRY OF RAILWAYS

[North Central Railway (Gati Shakti Department)]

NOTIFICATION

Jhansi, the 20th November, 2025

S.O. 5565(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government after being satisfied that for the public purpose the land the brief description of which has been given in the schedule annexed hereto is required for the purpose of execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project namely, “**Jhansi: Up gradation of Rayaru goods shed as world class goods shed (Phase-1)**” in the district of Gwalior, circle poorani chhawani, Tehsil Gwalior Gramin, Village Rayaru in the State of Madhya Pradesh, hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 20 D of the said Act;

Every such objection shall be made to the Competent Authority namely, **Sub-Divisional Officer (Revenue) Tahsil Gwalior Gramin, Gwalior, Madhya Pradesh** in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard either in person or by legal practitioner and may, after hearing such objections and after making such further enquiry, if any as the Competent Authority thinks necessary by order either allow or disallow the objections;

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 20 D of the said Act shall be final;

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired, with or without structure, for the Special Railway Project, namely “**Jhansi: Upgradation of Rayaru goods shed as world class goods shed (Phase-1)**” Project under circle poorani chhawani Tehsil Gwalior Gramin Gram Rayaru of Gwalior district in the state of Madhya Pradesh.

S. No.	Tehsil name	Village Name	Plot No.	Area (Hec.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Gwalior Gramin	Rayaru	203	0.1979
2			1107	0.0045
3			341	0.2028

4	Gwalior Gramin	Rayaru	1053	0.2194
5			1054	0.0460
6			1055	0.0713
7			1056	0.1724
8			1057	0.0691
9			1063	0.0447
10			1064	0.0025
11			1065	0.0122
12			1066	0.0127
13			1078	0.0066
14			1085	0.0030
15			1087	0.0138
16			1089	0.0177
17			1233	0.0020
18			1059	0.0210
19			1060	0.0712
20			1061	0.0310
21			1062	0.0630
22			1075	0-0860
23			1076	0.0520
24			1077	0.0857
25			1079	0.0840
26			1080	0.0713
27			1081	0.0310
28			1082	0.0774
29			1083	0.0730
30			1084	0.0789
31			1106	0.1084
			Total	2.0325

[e-F. No. NCR-JHS0GSU/81/2025-O/o CPM/GSU/JHS/NCR (Computer No: 152503), Date: 19.09.2025]

ANAMUL HAQUE, Chief Administrative Officer (Construction), Road Safety Project, Prayagraj